संख्याः-५७१/VI(1)/2011-21(घो0)/2010 टी0सी0

58

प्रेषक,

एस0एस0 संधू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1 देहरादून दिनांक07 दिसम्बर, 2011

विषयः-जनपद पौड़ी गढ़वाल के ल्वाली में कृत्रिम झील का निर्माण किये जाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं मृदा परीक्षण, Load bearing Capicity के अध्ययन इत्यादि हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के ल्वाली में कृत्रिम झील के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं मृदा परीक्षण, Load bearing Capicity के अध्ययन इत्यादि हेतु ₹ 50.00 लाख की नितान्त आवश्यकता के दृष्टिगत तथा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन विकास की नई योजना मद में चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि को राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित करके उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के नाम से देहरादून स्थित कोषागार में खुले पी0एल0ए0 खाते में जमा करके कार्यदायी संस्था (सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड) की मांग पर इसका आवश्यकतानुसार ही आहरण कर कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाएगा।

3- उपर्युक्त धनराशि का व्यय शासनादेशों तथा वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अनुसार ही किया जाय तथा जहॉ आवश्यक हो वहाँ व्यय करने से पूर्व, सक्षम स्तर से स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक मदों में व्यय शासन के मानक के अनुसार किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि पर्यटन विभाग के देहरादून मुख्यालय के आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा आहरित की जायेगी तथा जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बीएम-13 पर नियमित रूप से महालेखाकार एवं शासन को विलम्बतः प्रतिमाह 20 तारीख तक (पूर्व माह की सूचना) उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

..2

5– कार्यदायी संस्था द्वारा नियमित रूप से पर्यटन विभाग तथा शासन को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से अवगत कराया जायेगा। संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के उपरान्त ही अगली किश्त का भुगतान किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रथमतया "8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि लेखा–201 समेकित निधि को विनियोजन" तथा अन्ततः अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0एस0 संधू)
सचिव।

वित्त विभाग
संख्याः–15/XXVII(1)/रा0आक0निधि/2011, दिनांक 07 दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः–Cm 1579 /VI(1)/2011–21(घो0)/2010, टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7– जिला पर्यटन विकास अधिकरी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
8– वित्त अनुभाग–2/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
9– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।